

कार्यालय कलेक्टर, सिवनी (मध्यप्रदेश)

“समाधान एक दिवस – योजनान्तर्गत”

जारी किये जा रहे प्रमाण पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की सूची

क्रं.	प्रमाण पत्र का नाम	क्रं.	आवश्यक दस्तावेज	निर्धारित शुल्क
1	मूल निवासी	1	शपथ पत्र	20 रु.
		2	सरपंच/पार्षद प्रमाण पत्र	
		3	पटवारी का प्रतिवेदन	
		4	अंकसूची की छायाप्रति (5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं कोई एक)	
2	आय प्रमाण पत्र	1	शपथ पत्र	20 रु.
		2	पटवारी का आय प्रतिवेदन	
		3	राशन कार्ड की छायाप्रति	
		4	शासकीय कर्मचारी है तो विभागीय आय प्रमाण पत्र	
3	अस्थाई जाति	1	शपथ पत्र	50 रु.
		2	सरपंच/पार्षद प्रमाण पत्र	
		3	पटवारी का प्रतिवेदन/पंचनामा	
		4	शाला का प्रमाण पत्र (टी.सी.आदि)	
4	जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र	1	(1) पूर्व में पंजीयन होने पर – केवल आवेदन पत्र	30 रु.
			(2) यदि जन्म एवं मृत्यु की घटना पंजीकृत न हो तो –	
			अ-एक माह से एक वर्ष की अवधि के अंदर जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु की अनुमति आदेश मय शपथ पत्र	
			ब- एक वर्ष से अधिक अवधि पश्चात वाली घटनाओं का रजिस्ट्रेशन कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश	
5	विवाह प्रमाण पत्र	1	निर्धारित प्रारूप (नियम 4 (1))	50 रु.
		2	शपथ पत्र	
		3	वर/वधु की विवाह का निमंत्रण पत्र	
		4	वर/वधु की आयु प्रमाण पत्र (मार्कशीट, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट, रिकार्ड रूम से सत्यापित प्रतिलिपि कोई एक)	
		5	वर/वधु का संयुक्त विवाह फोटो (दो प्रति में)	
		6	वर/वधु का निवास प्रमाण पत्र	
		7	5 रुपये शीर्ष हेड क्रमांक-065 अन्य प्रशासनीक सेवा चार प्रकीर्ण की चालान की प्रति ।	
		8	यदि को आवेदक द्वितीय विवाह की स्थिति में आवेदन पेश करता है तब आवेदक को पति/पत्नी जीवित हो तब ऐसी स्थिति में उन्हें सक्षम न्यायालय का विवाह विच्छेदित होने संबंधी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करना होगा ।	
		9	यदि किसी आवेदक की पत्नी/पति मृत्यु उपरांत द्वितीय विवाह करता है तब उन्हें पत्नी/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	
		10	आवेदन कर्ताओं की जिस स्थान पर विवाह संपन्न हुआ है ओर वे जिस जिले के निवासी है विवाह पंजीयन हेतु उन्हें उसी जिले में आवेदन करना होगा ।	
6	शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण	1	मूल लाइसेंस	50 रु.
		2	चालान की मूल प्रति	

7	बी.पी.एल. प्रमाण पत्र		निरंक	5 रु.
8	खसरा/बी-1 की प्रमाणित प्रति		निरंक	20 रु.
9	शपथ पत्र	1	शपथ पत्र का प्रारूप दो प्रतियों में	10 रु.
		2	दो गवाहों के परिचय पत्र की फोटोकापी	
		3	दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ	
		4	दो गवाह	
10	मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि		निरंक	20 रु.
11	अटेस्टेशन	1	मूल दस्तावेज	निःशुल्क
		2	दस्तावेजों की छायाप्रति	
12	शोध क्षमता प्रमाण पत्र (सालवेन्सी) (रूपये एक लाख तक)	1	निर्धारित प्रारूप	100 रु.
		2	शपथ पत्र	
		3	फार्म "सी" में रिपोर्ट	
		4	खसरा पॉच शाला की नकल (यदि मकान हो तो नजूल खसरा एवं नगरपालिका अस्टिमेंट की रिपोर्ट	
		5	आवेदक को फार्म-आ' म.प्र.राजस्व पुस्तक परिपत्र में विनिर्दिष्ट अनुसार जानकारी देना अनिवार्य होगा ।	
		6	नो-ड्यूज प्रमाण पत्र	
		7	अचल संपत्ति का विवरण	
13	राहत योजना प्रमाण पत्र	1	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र	20 रु.
		2	जाति प्रमाण पत्र (सरपंच/पार्षद का भी चलेगा)	
		3	मूल निवासी प्रमाण पत्र	
		4	योजना अनु.जाति/अनु.ज.जा. (बीपीएल के लिये)	
14	सौभाग्यवती योजना प्रमाण पत्र	1	वर एवं वधु की एक-एक फोटो	10 रु.
		2	जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मार्कशीट आदि)	
		3	जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति का)	
		4	बी.पी.एल. का प्रमाण पत्र	
		5	मूल निवासी प्रमाण पत्र	
		6	सरपंच का अनुमोदन	
15	अल्प बचत एजेंट के लायसेंस का नवीनीकरण	1	मूल लायसेंस की प्रति	50 रु.
		2	यदि उनका राष्ट्रीय बचत पत्र की समय अवधि समाप्त हो जाति है तो उन्हें पुनः दो हजार राष्ट्रीय बचत पत्र जमा करना होगा ।	
16	ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति		निरंक	10 रु.
17	मेला प्रदर्शनी की अनुमति	1	ग्राम पंचायत/नगरपालिका की अनापत्ति प्रमाण पत्र (निजी स्थान हो तो मालिक की अनापत्ति)	50 रु.
		2	थाना प्रभारी की रिपोर्ट	
18	विदेशी मदिरा अनापत्ति प्रमाण पत्र	1	निर्धारित प्रारूप में आवेदन	50 रु.
		2	5/- की कोर्ट फीस (आवेदन में चसपा की जावेगी)	
		3	निर्धारित स्पिट/माल्ट की ड्यूटी के मूल चालान की प्रति	

19	कीटनाशक औषधि लायसेंस	1	निर्धारित प्रारूप में आवेदन (नये हेतु प्रारूप-VII एवं नवीनीकरण हेतु प्रारूप-VII)	50 रु.
		2	लाइसेंस शुल्क चालान – नये/नवीनीकरण आवेदन हेतु – थोक – 300 रु. फुटकर – 300 रु. अनुज्ञप्ति पत्र में संशोधन (केवल एक औषधि हेतु)– थोक– 20रु. फुटकर–20रु. (अधिकतम 300रु. थोक एवं फुटकर हेतु) विलंब शुल्क के साथ नवीनीकरण – थोक – 20 रु. फुटकर – 20 रु. (तीन माह तक 20 रु. प्रति माह) चालान मद – 0401-कृषि कार्य, 800-अन्य प्राप्तियाँ	
		3	दुकान/गोदाम का नजरी नक्शा (पूर्ण विवरण सहित)	
		4	स्त्रोत प्रमाण पत्र (प्रसिंपल सर्टीफिकेट) तथा संचालनालय से कंपनी को प्रदाय अनुमति पत्र एवं अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति	
		5	शपथ पत्र (20 रु. के स्ट्याप पेपर पर) अ-सहकारिता क्षेत्र हेतु ब- सहकारिता क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों के लिये	
		6	माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के फलस्वरूप कीटनाशी दवाओं की लाइसेंस की राशि 300 रु. मेरे द्वारा जमा कराई जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत यदि कीटनाशी लाइसेंस में शुल्क की राशि शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई राशि के अनुसार की जाती है तो मैं शेष राशि तत्काल जमा कर दूंगा।	
		7	आवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें।	
20	उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र	1	निर्धारित प्रारूप में आवेदन (नये हेतु प्रारूप"क" एवं नवीनीकरण हेतु प्रारूप"ग")	50 रु.
		2	लाइसेंस शुल्क चालान – नये/नवीनीकरण आवेदन हेतु – थोक – 2250 रु. फुटकर – 1250 रु. अनुज्ञप्ति पत्र में संशोधन – थोक – 150 रु. फुटकर – 30 रु. विलंब शुल्क के साथ नवीनीकरण – थोक – 75 रु. फुटकर – 60 रु. अनुज्ञप्ति पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने हेतु थोक – 75 रु फुटकर – 25 रु. चालान मद – 0401-कृषि कार्य, 800-अन्य प्राप्तियाँ	
		3	दुकान/गोदाम का नजरी नक्शा (पूर्ण विवरण सहित)	
		4	स्त्रोत प्रमाण पत्र ("ओ" फार्म)	
		5	शपथ पत्र अ-सहकारिता क्षेत्र हेतु ब- सहकारिता क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों के लिये	
		6	थोक/कंपनी से सीधे प्राप्त "ओ" फार्म विक्रेता को "ओ" फार्म के साथ संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्राप्त कंपनी को प्रदाय उर्वरक अनुज्ञप्ति पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	
		7	आवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें।	
21	बीज लायसेंस प्रमाण पत्र	1	निर्धारित प्रारूप में आवेदन (नये हेतु प्रारूप"क" एवं नवीनीकरण हेतु प्रारूप"ग")	50 रु.
		2	लाइसेंस शुल्क चालान – नये आवेदन हेतु थोक/फुटकर – 50रु. नवीनीकरण हेतु थोक/फुटकर –20रु. अनुज्ञप्ति पत्र में संशोधन – 10 रु. विलंब शुल्क के साथ नवीनीकरण– 25रु. चालान मद – 0401-कृषि कार्य, 800-अन्य प्राप्तियाँ	
		3	दुकान/गोदाम का नजरी नक्शा (पूर्ण विवरण सहित)	
		4	स्त्रोत प्रमाण पत्र	
		5	स्त्रोत प्रमाण पत्र के साथ संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल से संलग्न स्त्रोत प्रमाण पत्र कंपनी को प्राप्त अनुमति की छायाप्रति या स्त्रोत प्रमाण पत्र में अंकित फसलों के किस्मवार बीज का किस राज्य/जिला/स्थान से बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत किये जाने वाले बीज प्रमाणीकरण संस्था का फसलवार, किसमवार प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा निम्नानुसार जानकारी संलग्न करें – 1. बीज का नाम 2. किस्म 3.लॉट नं. 4. कितने रकबे में कार्यक्रम लिया गया 4. बीज का मात्रा 5. कुल उत्पादन 6. परिणाम 7. मानक बीज की मात्रा 8. ग्रेडिड मात्रा 8. टेग्ड मात्रा आदि का पूर्ण विवरण	
		6	आवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें।	

22	श्रमिक हिताधिकारी पहचान पत्र	1	पिछले 12 माह में 90 दिवस निर्माण कर्मकार के रूप में किये गये कार्यों का सबूत/प्रमाण पत्रअ-ठेकेदार का प्रमाण पत्रब-सरपंच का प्रमाण पत्र	10 रु.
		2	दो पासपोर्ट साईज की फोटो	
		3	आयु प्रमाण पत्र (आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना)	
		4	आवेदक के साथ 5/- नगद पंजीयन शुल्क	
		5	पंजीन की निरंतरता बनाये रखने के लिये प्रत्येक वर्ष 10/- अभिदाय राशि नगद जमा करना अनिवार्य है	
23	खनिज पट्टा अस्थाई	1	लेटर पेड पर आवेदन	50 रु.
		2	नक्शा	
		3	खसरा	
		4	वर्क आर्डर की छायाप्रति	
		5	10/- की स्टाम्प टिकीट	